भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.447
02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दावों के निपटान में विसंगतियां

447. श्रीमती हेमा मालिनीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दावों के निपटान में विसंगतियों के बारे में किसानों की समस्याओं और शिकायतों के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या सरकार किसानों की समस्याओं को कम करने और बीमा संबंधी दावों से जुड़ी उनकी शिकायतों को हल करने के लिए कोई विशेष उपाय कर रही है; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दावों का जल्दी एवं एक साथ भुगतान और नुकसान का सही तरीके से आकलन सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFNY) के अंतर्गत, बीमा मॉडल का चयन, पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से बीमा कंपनियों का चयन, किसानों का नामांकन, फसल उपज/फसल नुकसान का आकलन और राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर थ्रेशोल्ड उपज एवं वास्तविक उपज अपलोड करने जैसे सभी प्रमुख कार्य, संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा किए जा रहे हैं जिससे किसानों के खाते में सीधे स्वीकार्य दावों की गणना और भुगतान किया जा सके। योजना के समुचित क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक हितधारक की भूमिका और जिम्मेदारियाँ योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में परिभाषित की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, बीमा कंपनियों द्वारा योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों के अंतर्गत अधिकांश दावों का निपटान निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है। तथापि, पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन के दौरान, दावों के भुगतान के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो मुख्यतः **(क) राज्य सरकार के हिस्से की सब्सिडी प्रदान करने में देरी (ख) बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/विलंब से प्रस्तुत करने के कारण भुगतान न करना/देरी से भुगतान या कम भुगतान (ग) उपज के आंकड़ों में विसंगति और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद आदि के कारण थीं।** इन मुद्दों के कारण लंबित दावों का निपटान योजना के प्रावधानों के अनुसार उनके समाधान के बाद किया जाता है।

(ख) एवं (ग) : सरकार ने पूरे भारत में इस योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करने, पारदर्शिता लाने और दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

- सरकार ने सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और किसानों के प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाओं की डिलीवरी, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसानों के विवरण अपलोड/प्राप्त करने और व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण सुनिश्चित करने के लिए एकल डेटा स्रोत के रूप में **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP)** का विकास किया है।
- दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान हेतु 'डिजिक्लेम मॉड्यूल' नामक एक समर्पित मॉड्यूल चालू किया गया है। सभी दावों का समय पर और पारदर्शी तरीके से निपटान सुनिश्चित करने हेतु इसमें NCIP को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है ।
- प्रीमियम सब्सिडी में केन्द्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों के हिस्से से अलग कर दिया गया है, ताकि किसानों को केन्द्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावे मिल सकें।
- पीएमएफबीवाई के प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो खरीफ 2024 से राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के माध्यम से 12% का जुर्माना स्वतः गणना करके लगाया जाएगा।
- इसी प्रकार, यदि राज्य सरकार निर्धारित समयावधि से प्रीमियम सब्सिडी देने में देरी करती है, तो उन्हें भी 12% का जुर्माना देना होगा।
- इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, CCE-Agri ऐप के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (CCE) डेटा को कैप्चर करना और इसे NCIP पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को CCE के संचालन को देखने की अनुमति देना, NCIP के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करना आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं ताकि किसानों के दावों का समय पर निपटान हो सके।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से निष्पक्ष फसल क्षति एवं नुकसान आकलन तथा पारदर्शिता के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को भी लागू किया गया है:

i. **यस-टेक (तकनीक पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली)** से रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज अनुमान को धीरे-धीरे अपनाया जाएगा ताकि उपज का आकलन करने के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान लगाने में मदद मिल सके। यह पहल खरीफ **2023** से धान और गेहूँ की फसलों के लिए शुरू की गई है, जिसमें उपज अनुमान में **30%** भारांश अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाएगा। सोयाबीन की फसल को खरीफ **2024** सीज़न से जोड़ा गया है।

ii. **विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा प्रणाली)** स्वचालित मौसम केंद्रों (AWS) और स्वचालित वर्षामापी यंत्र (ARG) का नेटवर्क स्थापित करेगा जो मौजूदा नेटवर्क से पाँच गुना बड़ा होगा और ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर हायपर लोकल वेदर डाटा एकत्र करेगा। इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के समन्वय से अंतर-संचालनीयता और डेटा साझाकरण के साथ एक राष्ट्रीय डेटाबेस में डाला जाएगा। विंड्स न केवल यस-टेक के लिए, बल्कि प्रभावी सूखा एवं आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए भी डेटा प्रदान करता है।

चूँकि यह योजना राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाती है, इसलिए बीमित किसानों के दावों से संबंधित शिकायतों सहित सभी शिकायतों के समाधान हेतु, योजना के संशोधित परिचालन दिशानिर्देशों में **स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र** अर्थात जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (DGRC), राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (SGRC) का प्रावधान किया गया है। इन समितियों को प्रचालन दिशानिर्देशों में उल्लिखित विस्तृत अधिदेश दिए गए हैं, ताकि शिकायतों की सुनवाई की जा सके और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटान किया जा सके।

शिकायत निवारण तंत्र को और बेहतर बनाने के लिए, कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (KRPH) विकसित की गई है। एक अखिल भारतीय टोल-फ्री नंबर 14447 शुरू किया गया है और उसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जहाँ किसान अपनी शिकायतें/समस्याएँ दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों/समस्याओं के समाधान की समय-सीमा भी निर्धारित की गई है।

विभाग सभी हितधारकों की साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस, व्यक्तिगत बैठक और राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलनों के माध्यम से दावों के समय पर निपटान सहित बीमा कंपनियों के कामकाज की नियमित निगरानी कर रहा है।

फसल बीमा योजनाओं की समीक्षा/संशोधन/युक्तिकरण/सुधार एक सतत प्रक्रिया है और हितधारकों के अध्ययनों के सुझाव/अभ्यावेदन/सिफारिशों पर समय-समय पर निर्णय लिए जाते हैं। प्राप्त अनुभव और विभिन्न हितधारकों के विचारों के आधार पर, बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों के दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और योजना को और अधिक किसान-हितैषी बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने समय-समय पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में व्यापक संशोधन किए है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के अंतर्गत पात्र लाभ किसानों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुँचें।

****